

08 $\frac{2}{22}$

आज यह पत्रावली मूल वाद डे
साथ पेश हुई। मूल वाद NoA, process
में खारिज किया जा चुका है। अतः
प्रार्थना पत्र - 212 RT. Act की आगे
की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहता
है। अतः प्रार्थना पत्र इली स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर मूल वाद डे साथ
संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०